

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

लूणकरण सोनी पुत्र स्व० बनवारीलाल सोनी उम्र 62 वर्ष जाति सोनी निवासी देवडा
स्कूल के पास कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज०।

.....वादी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज०।
2. जिला कलेक्टर महोदय सीकर जिला सीकर राज०।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा

मुकदमा नम्बर - 19/16 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस) व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 162/1 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम दौलताबाद की खातेदार काश्तकार भगवानी देवी के नाम से बनी खातेदारी निरस्त की जाकर वादी लूणकरण पुत्र बनवारी लाल को तहसील रामगढ शेखावाटी के ग्राम दौलताबाद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 162/1 रकबा 1.26 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निजीX..... मुबलिकX.....बाबत X
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगेरह Xफीसदी
सालाना आज की तारीख वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12.04.2018 सन् 2018
को जारी किया गया।

मोहर



दस्तख्त

.....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00	स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	08.00	00	मुतफरिक		
मीशान	11.00	00	मीजान		

नोट:- इसी खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना



रि
उपखण्ड अधिकारी
रामनगर शेखावाटी